Class - B.A Part-I (Honours)
Paper - I

Name of the Guest Teacher - Khushbu kumari,
dept. of Political Science, V.S.J. college, Rajnagar, Arnu

राज्य की प्रकृति

(सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा आदर्शवादी सिद्धांत)

इस सिद्धांत के अनुसार प्रारम्भ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे तथा स्वेच्छा से उन्होंने समझौता करके प्राकृतिक अवस्था का अन्त किया और राज्य संस्था की स्थापना की। अतः इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ऐसा कृत्रिम संगठन है जिसकी स्थापना किन्हीं निश्चित प्रयोजनों एवं उद्देश्यों की सिद्धि के लिए की गयी है इस प्रकार राज्य अन्य मनुष्यकृत समुदायों के समान ही एक ऐसा समुदाय है जिसके स्वरूप में मनुष्यों की इच्छानुसार परिवर्तन किया जा सकता है अथवा जिसे पूर्णतया भंग भी किया जा सकता है इस सिद्धांत में यह बात भी निहित है कि यदि राज्य संस्था समझौते के अनुसार अपने उद्देश्यों की पूर्ति अथवा कर्तव्य-पालन में असमर्थ रहती है, तो मनुष्यों को अधिकार है कि वे उसकी आज्ञाओं का पालन न करें और उसके विरुद्ध विद्रोह कर दें।

राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रतिपादित इस धारणा को 18वीं सदी में पर्याप्त मान्यता प्राप्त हुई क्योंकि इसके द्वारा राज्य के दैवी सिद्धान्त को अमान्य सिद्ध कर वैधानिक शासन के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया, किन्तु आज राज्य के स्वरूप के सामाजिक समझौता सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है राज्य को समझौते पर आधारित कृत्रिम

Scanned with CamScanner

सत्ता मानने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के लिए राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है और राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, किन्तु वास्तविक स्थिति इसके प्रतिकूल है वास्तव में राज्य एक नैसर्गिक संस्था है जो मानव की सहज सामाजिक प्रवृत्ति के विकास का परिणाम है और जिसकी आज्ञाओं का पालन व्यक्ति के लिए नितान्त अनिवार्य है।

* आदर्शात्मक सिद्धांत — इस सिद्धांत का जन्म प्लेटो तथा अरस्तू के विचारों से हुआ और इसके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक तथा पूर्ण संस्था है और व्यक्ति राज्य के अन्तर्गत रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख रूप से काण्ट, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि विचारकों के द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार —

(1) राज्य एक नैसर्गिक संस्था है
(2) राज्य एक नैतिक संस्था है
(3) व्यक्ति और राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित है
(4) राज्य अपने नागरिकों की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।
(5) राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का एकमात्र साधन है।

Scanned with CamScanner

राज्य की प्रकृति के आदर्शवादी सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है —

(i) यह राज्य को निरंकुश बना देता है।
(ii) यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विनाशक है — आदर्शवादी सिद्धान्त व्यक्तियों के व्यक्तित्व और उनकी स्वतन्त्रता का शत्रु है। इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में राज्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और व्यक्ति राज्य द्वारा किये गये कार्यों के उचित-अनुचित, न्याय-अन्याय पर विचार नहीं कर सकता।

(iii) राज्य साधन है, साध्य नहीं — इस सिद्धान्त के अन्तर्गत राज्य को एक साध्य की स्थिति प्रदान की गई है, लेकिन वास्तव में राज्य एक साधन-मात्र है जिसका लक्ष्य है — मानव-कल्याण। यह सच है कि राज्य के अन्तर्गत ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य से अलग व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है।

(iv) राज्य समाज और सरकार भिन्न-भिन्न संस्थाएँ हैं — आदर्शवादी विचार के अन्तर्गत राज्य और समाज एवं राज्य और सरकार को एक-दूसरे की पर्यायवाची समझ लिया है, किन्तु वास्तव में, राज्य, सरकार और समाज एक नहीं है बल्कि इनमें अन्तर है

Scanned with CamScanner

Date

(v) प्रगति-विरोधी — कुछ विचारकों का कथन है कि आदर्शवादी धारणा प्रगति-विरोधी, दोषपूर्ण और भयानक है, क्योंकि इसमें आदर्श अपनाने के स्थान पर दोषपूर्ण यथार्थ स्थिति को ही आदर्श का रूप दे दिया गया है।

महत्व — राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में आदर्शवादी सिद्धान्त की धारणा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस सिद्धान्त का महत्व है। गेटल ने लिखा है — "राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, यदि इस दृष्टि से आदर्शवादी सिद्धान्त की परीक्षा करें तो पता चलता है कि इस सिद्धान्त का कुछ महत्व है और यह लोगों को उस राज्य के प्रति भक्त रहने तथा उसके लिए बलिदान करने की प्रेरणा देता है, जिसके द्वारा सभ्यता का विकास किया गया है।"